उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या:493–पारे0अनु0–04/पाट्राकालि–2024–20/2009 टी0सी0–।। दिनांक: 07 अगस्त, 2024

ई–मेल

समस्त निदेशक,
मुख्य अभियन्ता,
(पारेषण/जानपद),
उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0,
लखनऊ/आगरा/मेरठ/झाँसी/गोरखपुर/प्रयागराज।

विषय: विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की सूचना के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या– 2389–औ०सं०/2024–02(यू0)ए०एस०/24, दिनांक 05.08.2024 (ससंलग्नक छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ०प्र० के पत्र संख्या–20/वि०सं०क०म०/कारपो०, दिनांक 26.07.2024 के माध्यम से संघ द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किये जाने की सूचना दिये जाने के दृष्टिगत समस्त वितरण कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः उक्त पत्र की संलग्नकों सहित छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित शांतिपूर्ण सत्याग्रह के दृष्टिगत आवश्यक सतर्कता एवं निवारक उपाय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(प्रकाश बडोला)
अनु सचिव (पारेषण–04बी)

संख्या : 493–पारे0अनु0–04बी/पाट्राकालि/2024 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
4. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
5. अपर सचिव (पारेषण), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप सचिव (पारेषण–प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइट www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Bad 7.8.2024
(प्रकाश बडोला)
अनु सचिव (पारेषण–04बी)

UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या–2389–औ0सं0/2024–02(यू0)ए0एस0/24

दिनांक : 05 अगस्त, 2024

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
विद्युत वितरण निगम लि0 एवं केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ एवं कानपुर।

समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

पंजी0 सं0 493-पारे0अनु0-4/पदा0/2024
पत्रावली सं0
क्रमांक

विषयः– विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 के पत्र संख्या–20/वि0सं0क0म0/कारपो0 दिनांक 26.07.2024 (प्रतिलिपि संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संघ द्वारा दिनांक 09.08.2024 को प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह किये जाने की सूचना से अवगत कराया है।

संयुक्त सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0–814–24–पी–2–24 दिनांक 04.07.2024 द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न निगमों में उ0 प्र0 आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–30 सन् 1966) की धारा(3) की उपधारा (1) के अन्तर्गत 06 माह हेतु हड़ताल निषिद्ध किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। उक्त आदेश कारपोरेशन के पत्र संख्या–2161–औ0सं0–17/पाकालि/2024–159–ए/67 दिनांक 16.07.2024 द्वारा सभी को संसूचित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की हड़ताल/आन्दोलन/धरना प्रदर्शन करना न केवल अनुचित है अपितु अवैधानिक भी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत व्यवस्था की स्थिति को प्रत्येक दशा में सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये, कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व संयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये। आउटसोर्स एजेन्सियों को निर्देशित कर दिया जाये कि कोई भी आउटसोर्स श्रमिक प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग न करे। कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें, एवं कृत कार्यवाही से कारपोरेशन मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>सलंग्नक :– यथोपरि।</u>

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

S(4B)
SO(4B)
6/8
SO(04)
6.8.2024

(2)

विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ

केन्द्रीय कार्यालय : जी-107, हमवरा अपार्टमेन्ट, ... लखनऊ (उ.प्र.)

पत्रांक 20/वि०सं०क०म०/कार्या०

5872

दिनांक 26/07/2024

सेवा मे,

31/7/24
1/8/24

5354/GCM/2024
31.07.2024

1043
01/08/24

अध्यक्ष

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
उ0प्र0 जल–विद्युत निगम लि0,उ0प्र0 पावर ट्रासमिशन कारपोरेशन एवं केस्को
14–अशोक मार्ग शक्तिभवन लखनऊ।

विषय–9 अगस्त 2024 दिन शुकवार को प्रदेश के हर जिले में शांतिपूर्ण सत्याग्रह की सूचना।

महोदय,

आपको सादर अवगत कराना है कि विद्युत संविदा कर्मिचारी महासंघ उ0प्र0 के घटक संगठनों की एक बैठक वरिष्ठ मजदूर नेता इं0 आर0एस0 राय की अध्यक्षता में संगठन कार्यालय में हुई जिसमे आउटसोर्स एजेसियों के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियो के शोषण एवं उत्पीडन के विरोध में महासघ द्वारा हर जिले में 9 अगस्त 2024 दिन शुकवार को एकद्विवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह करके सरकार और प्रबन्धन का ध्यानाकर्षित कराने का निर्णय लिया गया है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में अनुरोध करना है कि महासंघ के घटक संगठनों के पदाधिकारियों की प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन एवं अन्य अधिकारियों की आपकी अध्यक्षता में हुई बैठक में निम्न बिन्दुओं पर आप द्वारा सहमति दिये जाने के बावजूद अभी तक आदेश न जारी किये जाने से संविदा कर्मियों में अविश्वास का वातावरण बना हुआ है ।

1. आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाकाल में किन्ही भी कारणों से हुई अकस्मिक मृत्यु के उपरान्त क्षतिपूर्ति हेतु 10 लाख रूपये का बीमा कराया जाय। ताकि उनके परिवार को आर्थिक मदद हो सके।
2. आउटसोर्स एस0एस0ओ0 को हटाकर सैनिक कल्याण निगम से एस0एस0ओ0 रखने हेतु जारी आदेश दिनाक 6 जून 2023 के सम्बन्ध में महासंघ द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा गया था कि 10 हजार वेतन पर वर्षो से कार्यरत आउटसोर्स एस0एस0ओ0 को बेरोजगार करके 30 हजार वेतन पर सैनिक कल्याण निगम से पेंशन पा रहे पूर्व सैनिकों को एस0एस0ओ0 के पद पर रखने का आदेश अन्यायपूर्ण है इस पर आपने सहमति जतायी थी कि रखने की प्रकिया बन्द की जाय तथा आम चुनाव के बाद उक्त आदेश वापस लिया जाएगा।
3. गत मार्च में संघर्ष समिति द्वारा की गयी तीन द्विवसीय हडताल में महासंघ से जुडे संविदा कर्मियों ने भाग नही लिया था किन्तु गलत सूचना के आधार पर उन्हें हटा दिया गया जिस पर आप द्वारा महासंघ से सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था, किन्तु दुःख का विषय है कि सूची बार बार प्रेषित की गयी जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई।

GM(IR)

MD TCL/UNL
MD PCL

R/sir,

31.7.24
(रवि शंकर)
निजी सचिव
अध्यक्ष
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

Div (I&A)
R/sir

237/MDU/24

उत्तर प्रदेश शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या-814-24-पी-2-24
लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2024

4343

R.D. 6/7/24
D.D. 9/7/24

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 06 मास की अवधि के लिए 1-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 2- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ, 3- उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ, 4- उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ, 5- कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी, केस्को, 6- मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ, 7- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, 8- पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ और 9- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के अधीन समस्त सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेतर निदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

(संजय शुक्ला)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, शाखा ऐशबाग, लखनऊ को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश को दिनांक 05.07.2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित कराकर 250 मुद्रित प्रतियां ऊर्जा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस आदेश को असाधारण गजट में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग ने स्वीकृति दे दी है। कृपया मुद्रण के उपरान्त मैटर को तोड़ दिया जाये।

आज्ञा से,

(संजय शुक्ला)
संयुक्त सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Articles 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 814/24-P-2-2024, Dated 04.07.2024

UTTAR PRADESH SHASAN
URJA ANUBHAG-2
No. 814/24-P-2-2024
Lucknow:Dated 04.07.2024

Notification

WHEREAS, the state Government is satisfied that in the public interest it is necessary and expedient to do so.

Now THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P Act no. XXX of 1966), the Governor is pleased to prohibit for a period of six months from the date of publication of this order in the Gazette, strikes in all services under the 1. Uttar Pradesh Power Corporation Limited, Lucknow, 2. Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited, Lucknow, 3. Uttar Pradesh Jal Vidyut Nigam Limited, Lucknow, 4. Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, 5. Kanpur Electricity Supply Company (KESCO), 6. Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Lucknow, 7. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Varanasi, 8. Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Meerut, 9. Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited, Agra.

The Governor is further pleased to direct under sub-section (2) of the section 3 of the said Act that this order shall be published in the Gazette.

By order,

(SANJAY SHUKLA)
JOINT SECRETARY